पत्रांक :– 6/वि09–56/2010.....558

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

आर0 के0 महाजन,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)

पटना, दिनांक :– 03.06.2015

विषय:– शैक्षणिक सत्र 2015–16 में ग्रीष्मावकाश के उपरांत प्रारंभिक विद्यालयों में पठन–पाठन आरंभ करने के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय आदेश (ज्ञापांक 473 दिनांक 12.05.2015)।

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आ रहे भूकम्प के झटके की पृष्ठभूमि में एहतियात के तौर पर ग्रीष्मावकाश को पूर्वित (Prepone) करते हुए दिनांक 13.05.2015 के प्रभाव से ग्रीष्मावकाश घोषित करने का निदेश प्रासंगिक आदेश के तहत निर्गत किया गया था। इस आदेश में यह भी अंकित है कि ग्रीष्मावकाश के पश्चात विद्यालयों को खोलने की पूर्व से निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व विद्यालय पठन–पाठन हेतु खोले जाएँगें। यह आदेश समेकित रूप से सभी प्रकार के विद्यालयों यथा निजी विद्यालय, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रारंभिक विद्यालयों के लिए निर्गत किया गया था।

प्रारंभिक विद्यालयों का शैक्षणिक कैलेण्डर जिला स्तर पर तैयार किया जाता है। इसके कारण ग्रीष्मावकाश की अवधि लगभग समान होती है, परन्तु ग्रीष्मावकाश प्रारंभ होने की तिथि भिन्न–भिन्न होती है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 220 दिनों का शैक्षणिक दिवस होना आवश्यक है।

चूँकि इस शैक्षणिक वर्ष में प्रारंभिक विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश प्रारंभ होने की तिथि एक ही है, इसलिए समरूपता को ध्यान में रखते हुए सभी राजकीय/राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों को दिनांक 08.06.2015 से खोलने का निदेश दिया जाता है।

विश्वासभाजन,

(आर0के0 महाजन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 1012/ बिहारशरीफ, दिनांक 04/06/2015

प्रतिलिपि:– सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ सभी प्रारंभिक हिन्दी/उर्दू विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि दिनांक 08.06.2015 से ग्रीष्मावकाश उपरांत विद्यालय खोलना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालन्दा।